बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक–20.02.2026

संचिका संख्या–03/आ01–62/2019.I/368299/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री राजेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत को थाना कांड संख्या–135/2019 में नामजद अभियुक्त बनाये जाने एवं स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 23.07.2019 को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आलोक में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9 (1) के प्रावधानों के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या–462 दिनांक–30.07.2019 द्वारा गिरफ्तार होने की तिथि दिनांक–23.07.2019 के प्रभाव से इन्हें निलंबित किया गया।

2. विभागीय पत्रांक–581 दिनांक 18.09.2019 द्वारा श्री सिन्हा के विरुद्ध साक्ष्य सहित आरोप पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी से किया गया। विभागीय पत्रांक–693 दिनांक 19.11.2019 द्वारा विषयांकित मामले में सरकार को कितनी राशि की क्षति हुई के साथ क्षतिग्रस्त राशि की वसूली के संबंध में की गयी कार्रवाई एवं वसूल की गयी राशि के साथ श्री सिन्हा के विरुद्ध साक्ष्य सहित आरोप पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

3. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक–2782 दिनांक 24.12.2019 के द्वारा श्री सिन्हा के विरुद्ध साक्ष्य सहित आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध करवाया गया। गठित आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–69 दिनांक 29.01.2020 द्वारा श्री सिन्हा से लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गयी। श्री सिन्हा द्वारा बचाव अभिकथन समर्पित किया गया। प्राप्त बचाव अभिकथन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक–1799 दिनांक–11.06.2020 से मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें आरोपों के विरुद्ध प्राप्त बचाव अभिकथन को संतोषप्रद नहीं बताया गया। उक्त के आलोक में दिनांक 10.08.2020 को विभाग की ओर से श्री सिन्हा के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन किया गया तथा विभागीय संकल्प संख्या–312 दिनांक 17.08.2020 विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इन्हें विभागीय संकल्प संख्या–311 दिनांक 17.08.2020 द्वारा निलंबन एवं आरोप पत्र के बीच समय सीमा 90 दिन से अधिक होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत निलंबन मुक्त किया गया।

4. श्री राजेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, मधुबनी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप निम्नवत् हैं:–

आरोप संख्या–1. जिला पदाधिकारी के आदेशालोक में गठित जाँच कमिटी के प्रतिवेदन निष्कर्ष में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना को दोषी बनाया जाना।

आरोप संख्या–02. मधवापुर प्रखण्ड अन्तर्गत फर्जी शिक्षकों को वेतन भुगतान के फलस्वरूप इनके विरूद्ध मधवापुर थाना काण्ड संख्या–135/19 में श्री सिन्हा को सह अभियुक्त संख्या–03 बनाया जाना।

आरोप संख्याः–3. इनके कार्यावधि में मधवापुर प्रखंड के अंतर्गत फर्जी शिक्षकों के वेतन भुगतान के क्रम में कुल राशि 30,55,247.00/–(तीस लाख पचपन हजार दो सौ सैंतालिस) रुपये की अवैध निकासी हुई।

आरोप संख्या–4. मधवापुर के अवैध प्रखंड शिक्षकों/पंचायत शिक्षकों के संबंध में उनके कार्यकाल में संचालित संचिका बार–बार इस कार्यालय से माँग किये जाने के उपरांत भी संचिका नहीं देकर स्वयं अपने पास संचिका रखना और अवैध रुप से नियोजित शिक्षकों की जाँच कार्य में अपेक्षित सहयोग नहीं करने और उच्चाधिकारी के आदेशों की अवहेलना करना।

आरोप संख्या–05. मधवापुर प्रखंड के अवैध नियोजित शिक्षकों के संबंध में ससमय निर्णय नहीं लेकर उन्हें अवैध भुगतान करने की दिशा में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मधवापुर को सहयोग प्रदान करना।

5. इन आरोपों की जांच के लिए विभागीय संकल्प संख्या–312 दिनांक 17.08.2020 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में श्री मिथिलेश मिश्र, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी का यह जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि पंचायत शिक्षक/प्रखंड शिक्षकों के वेतन का भुगतान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना के द्वारा भेजे गये एडभाईस के माध्यम से किया जाता है। ऐसे में आरोपित पदाधिकारी से यह अपेक्षित था कि वेतन भुगतान से पूर्व तैयार किये गये वेतन विपत्र की सूची की सम्यक जाँच की जानी चाहिए थी। फलतः इस प्रकार की गलत प्रविष्टि लगातार 05 माह तक की जाती रही। इस लापरवाही के लिये अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपट्टी के द्वारा गठित समिति के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, मधुबनी को दोषी बताया गया है। इस कांड का अनुसंधान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा भी दिनांक 19.06.2019 को किया गया था। उक्त अनुसंधान में भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है। अतएव उक्त तथ्यों से यह आरोप प्रमाणित होता है। आरोप संख्या–02 के संबंध में जांच पदाधिकारी का मंतव्य है कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय, सदर मधुबनी के केस डायरी संख्या–415/2019 दिनांक 19.06.2019 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रखंड/पंचायत शिक्षकों के वेतन का भुगतान संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा समर्पित किये गये उपस्थिति के आधार पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से वेतन विपत्र तैयार कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय को भेजा जाता है तथा जाँचोपरांत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा एडभाईस के माध्यम से शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाता है। इस कांड में अप्रैल 2018 से नवम्बर 2018 तक एक ही क्रमांक पर कई फर्जी नाम अंकित कर 18 पंचायत शिक्षक एवं 21 प्रखंड शिक्षक कुल 39 शिक्षकों के वेतन का भुगतान किया गया है जो संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कर्मियों की मिलीभगत से ही संभव परिलक्षित होता है। ऐसी परिस्थिति में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मधवापुर एवं वहाँ विपत्र तैयार करने वाले कर्मी अनिल कुमार कर्ण के साथ–साथ संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मधुबनी एवं उनके कार्यालय में शिक्षकों के वेतन कार्य को देखने वाले कर्मी दोषी प्रतीत होते हैं। मधवापुर थाना के अंतर्गत दर्ज कांड संख्या–135/19 में श्री सिन्हा को सह अभियुक्त संख्या–03 बनाये जाने के फलस्वरुप वे संबंधित आपराधिक न्यायालय से अभी निर्दोष नहीं किये जा सके हैं। अतएव यह आरोप प्रमाणित होता है। आरोप संख्याः–3 के संबंध में यह मंतव्य प्राप्त है कि अतिरिक्त भुगतान की गयी राशि की वसूली हेतु इन सभी 39 व्यक्तियों के विरूद्ध संबंधित नीलाम पत्र पदाधिकारी के समक्ष नीलाम पत्र वाद दायर किया जा चुका है, अतएव उक्त तथ्यों से यह आरोप प्रमाणित होता है। आरोप संख्या–4 के बारे में जांच पदाधिकारी का मंतव्य है कि प्रासंगिक आरोप के क्रम में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित बचाव अभिकथन अपर्याप्त प्रतीत होते हैं। फलस्वरुप उनके विरूद्ध गठित आरोपों का प्रतिवाद सम्यक रुप से नहीं किया जा सका है, अतएव यह आरोप प्रमाणित होता है। आरोप संख्या–05 पर जांच पदाधिकारी का यह मंतव्य है कि गठित आरोप के क्रम में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्य एवं साक्ष्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी के स्तर से तथाकथित निर्गत पत्रांक–38(L) दिनांक 03.01.2019 स्पष्टरुपेण संदेहास्पद परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त वेतन भुगतान के प्रस्ताव पर अनुमोदन से पूर्व विगत माह में भुगतान की सूची, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रेषित निगेटिव सूची तथा भुगतान हेतु सूचीबद्ध शिक्षकों की सूची का Database से मिलान नहीं किया जाना स्पष्ट परिलक्षित होता है जो वित्तीय दायित्वों का निर्वहन करने वाले उत्तरदायी पदाधिकारी के स्तर से एक गंभीर प्रशासनिक चूक है। इस लापरवाही के कारण ही प्रथम वार 39 अतिरिक्त शिक्षकों की सूची सम्मिलित किये जाने की जाँच नहीं किया जाना स्पष्ट रुप से लोकनिधि के आपराधिक दुर्विनियोग का मामला प्रमाणित होता है। फलतः यह आरोप भी प्रमाणित होता है।

6. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री सिन्हा के विरूद्ध लगाये गये सभी 05 गंभीर आरोप पूर्णतः प्रमाणित पाये गये हैं। इस परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के तहत प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए

पत्रांक–127513 दिनांक 29.04.2024 के द्वारा श्री सिन्हा से लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी। प्राप्त अभ्यावेदन में आरोपी पदाधिकारी के द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव अभिकथन में उल्लेखित तथ्यों का दोहराव मात्र किया गया है, कोई नया सारभूत तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. श्री राजेश कुमार सिन्हा के दिनांक 31.05.2025 को वार्धक्य सेवानिवृत होने के कारण विभागीय आदेश संख्या–262905 दिनांक 04.07.2025 द्वारा आलांच्य अनुशासनिक कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ख) में सम्परिवर्तित किया गया।

8. श्री राजेश कुमार सिन्हा के विरूद्ध गठित आरोपों, जांच पदाधिकारी का प्रतिवेदन तथा आरोपी पदाधिकारी के अभिकथन की समीक्षा में श्री सिन्हा के विरूद्ध गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी राशि के दुर्विनियोग आदि के आरोप प्रमाणित हुए तथा आरोपी पदाधिकारी द्वारा बचाव में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के कारण श्री सिन्हा के बचाव अभिकथन को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत अस्वीकृत किया गया।

9. श्री राजेश कुमार सिन्हा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (ख) के अंतर्गत "50 प्रतिशत पेंशन राशि की कटौती सदा के लिए" की शास्ति सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गई।

10. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–4581 दिनांक–13.02.2026 द्वारा श्री राजेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत के विरुद्ध उपर्युक्त विनिश्चित शास्ति पर सहमति प्रदान की गई है।

11. अतः उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राजेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है–

"50 प्रतिशत पेंशन राशि की कटौती सदा के लिए"।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

ह0/–
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांकः–03/आ01–62/2019.1/368299/ पटना, दिनांकः–20.02.2026

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/राज्य परियोजना निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य टेक्सट बुक कॉरपोरेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार,

पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विशेष निदेशक (मा0शि0)/सभी उप निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार एवं श्री राजेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत पता– शेरशाह रोड, गुंड़ की मंडी (गुप्ता कॉलोनी), अपोजिट सकड़ी गली मोड़, पटना, पिन–800007 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
Date: 20-02-2026 13:31:41
निदेशक (प्रशासन)